न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यक्ष चौधरी (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 238/2025

क्रमांक/आवेदन/2025/ 4760

दिनांक : 28.07.25

प्रार्थीगण
हुसैनखान पुत्र कालूखान
जाति मुसलमान, निवासी चक गूंगा
तहसील शिव, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण
पुरखाराम पुत्र ईशराराम
वगैरा (10)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा को प्रार्थीगण की मौजा चक गूंगा, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 275/210 रकबा 6.0703 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवानें हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू–अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2025/ 4761-66

दिनांक : 28.07.25

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. तहसीलदार **शिव** को सुचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक **गूंगा** को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी **गूंगा** को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर [illegible] की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना **शिव** को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण हुसैनखान पुत्र [illegible] को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण पुरखाराम पुत्र ईशराराम वगैरा (10) को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:52:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर